(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

आय-कर

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 14 जनवरी, 2016

का.आ. **127** (अ).- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (प्रथम संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**17. धारा 11 के अधीन विकल्प इत्यादि का दिया जाना-** (1) 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ती वर्ष की आय के संबंध में धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के उपबंधों के अनुसार दिए जाने वाले विकल्प प्ररूप सं. 9क में होगा और सुसंगत निर्धारण वर्ष की आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय की समाप्ति से पूर्व दिया जाएगा ।

(2) धारा 11 की उपधारा (2) या धारा 10 के खंड 21 के अधीन यथालागू उक्त उपबंध के अधीन निर्धारण अधिकारी या विहित प्राधिकारी को दिए जाने वाला विवरण प्ररूप सं. 10 में होगा और आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय की समाप्ति से पूर्व दिया जाएगा ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सं. 9क में विकल्प और उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्ररूप सं. 10 में विवरण डिजीटल हस्ताक्षर या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में दिया जाएगा ।

(4) यथास्थिति, प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली)–

(i) उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्ररूपों को फाइल करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा ;

(ii) उक्त प्ररूपों को देने वाले व्यक्ति के सत्यापन के प्रयोजन के लिए, उपनियम (3) में निर्दिष्ट डेटा स्ट्रक्चर, इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड का सृजन करने की मानदंड और रीति विनिर्दिष्ट करेगा ; और

(iii) इस प्रकार दिए गए प्ररूपों के संबंध में समुचित सुरक्षा विरचित करने और कार्यान्वित करने, नीतियों के पूरालेखीए और पुन: प्राप्ति के लिए उत्तरदायी होगा।"।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 2 में,--

(क) प्ररूप सं. 9 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप सं. 9क

[नियम 17(1) देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अधीन दिए जाने वाले विकल्प हेतु आवेदन ।

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

मैं, ... (न्यास/संस्था/संगम का नाम) की ओर से ..... स्थायी लेखा संख्या (पैन) ..... आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) में निर्दिष्ट ..... रुपए की रकम, (ब्यौरे नीचे अ में दिए गए हैं) पूर्ववर्ती वर्ष 20...20... के दौरान पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए अनुप्रयुक्त समझी जाने वाली आय, नीचे आ में वर्णित कारणों के लिए विकल्प देना चाहता हूं ।

अ. इस संबंध में आय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(i) ऊपर वर्णित पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान न्यास के अधीन धारित/न्यास के अधीन भागत: धारित संपत्ति से प्राप्त आय की रकम : रुपए .....

(ii) (i) [आय की रकम में से], भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए वास्तव में अनुप्रयुक्त : रुपए .....

(iii) (ii) में निर्दिष्ट आय की रकम, जो (i) में निर्दिष्ट आय से 85% कम पड़ती हो : रुपए .....

(iv) आय की रकम, जिसके संबंध में विकल्प दिया जा रहा है : रुपए .....

आ. आय के अनुप्रयोग में कमी के कारण निम्नलिखित हैं :--

(क) यदि आय पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं की गई थी ? हां/नहीं ।

यदि हां, तो आय की रकम, जो प्राप्त नहीं की गई थी : ..... ;

(ख) कोई अन्य कारण ? हां/नहीं ।

यदि हां, तो कारण और आय की तत्स्थानी रकम विनिर्दिष्ट करें :

क्रम सं.	कमी के कारण	आय की रकम

तारीख :

हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

पता .....

टिप्पण :

1. ये विकल्प प्ररूप किसी न्यासी/प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ।
2. अनुचित शब्द हटाएं ।";

(ख) प्ररूप सं. 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

प्ररूप सं. 10

[नियम 17(2) देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारण अधिकारी/विहित प्राधिकारी को दिया जाने वाले वाला विवरण ।

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी/विहित प्राधिकारी,

.....

.....

मैं, ... (न्यास/संस्था/संगम का नाम) की ओर से ..... स्थायी लेखा संख्या (पैन) ..... एततद्वारा आपके ध्यान में लाता हूं कि न्यासियों/शासी निकाय, चाहे जिस भी नाम से जाना जाए, द्वारा तारीख ..... को पारित संकल्प द्वारा विनिश्चित किया गया है कि निर्धारण वर्ष 20...20... से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के लिए न्यास/संस्था/संगम की आय में से, ... रुपए की एक रकम, जो उक्त पूर्ववर्ती वर्ष के लिए न्यास/संस्था/संगम की आय का ..... प्रतिशत है, न्यास/संस्था/संगम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए संचित या आबंटित की जाएगी । रकम के ब्यौरे, प्रस्तावित संचय या आबंटन का प्रयोजन और अवधि निम्नलिखित है :--

क्रम सं.	प्रयोजन, जिसके लिए रकम संचित या आबंटित की जानी है	रकम	संचय/आबंटन की अवधि, जब समाप्त हो रही हो
1			
2			
3			

2. इस प्रकार संचित या आबंटित रकम आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक रूपों या रीतियों में विनिधान या निक्षिप्त की गई है ।

3. यह और आपके ध्यान में लाया जाता है कि उक्त ..... (न्यास/संस्था/संगम का नाम) ने सुसंगत निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित किसी रकम के संचय या आबंटन से संबंधित विवरण निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार दिया है :

संचय का वर्ष	प्ररूप 10 फाइल करने की तारीख	संचित रकम	अवधि, जिसके लिए संचित/ आबंटित की गई है	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत तक अनुप्रयुक्त रकम	अनुप्रयोग हेतु शेष रकम	धारा 11 की उपधारा (3) के अर्थांतर्गत समझी गई आय की रकम

4. यह भी आपके ध्यान में लाया जाता है कि ऊपर 3 में वर्णित आय में से, न्यायालय के आदेश/व्यादेश के कारण नीचे यथा उपवर्णित आय उस प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त नहीं की जा सकी, जिसके लिए उसका संचय या आबंटन किया गया था :--

क्रम सं.	आय की रकम	पूर्ववर्ती वर्ष, जिसमें संचित या आबंटित की गई थी	अवधि, जिसके दौरान न्यायालय आदेश के कारण उसका अनुप्रयोग नहीं किया जा सका	न्यायालय आदेश के ब्यौरे

तारीख :

हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

पता .....

टिप्पण :

1. ये विवरण किसी न्यासी/प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ।
2. अनुचित शब्द हटाएं ।"।

(अधिसूचना सं. 3/2016/फा.सं. 142/16/2015-टीपीएल)

(आर. लक्ष्मी नारायणन)

अवर सचिव (टीपीएल)

टिप्पण – मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. **3545**(अ), तारीख **30/12/**201**5** द्वारा संशोधित किए गए ।